न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 85/2019/अपील

मोहन पुत्र रिछपाल जाति ब्राहमण निवासी किशोरपुरा उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2019 प्रकरण संख्या 108/2019 अनुवानी सरकार बनाम रिछपाल द्वारा उप तहसीलदार अजीतगढ़

वकील अपीलांट श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया

निर्णय दिनांकः—30.10.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर हल्का पटवारी के बयान लिए बिना अपना निर्णय सरसरी तौर पर मंदिर माफी की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलांट गरीब परिवार से है तथा दहाड़ी मजदूरी पर अपना पालन पोषण करते है व अपने पूर्वजों के समय से आवास निवास कर रहा है। अपीलांट पूर्वजों के समय से पुख्ता मकान दुकान बनाकर आवास निवास कर रहा है एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अपीलांट जिस भूमि पर काबिज है वह पूर्व में खातेदारी की भूमि रही है। सरकारी भूमि कभी नही रही जो अपीलांट को नियमन किए जाने योग्य है। जहां अपीलांट ने विधुत कनेक्शन ले रखा है। कानूनन माफी मंदिर शाश्वत नाबालिग है परन्तु उनके हितार्थ पुजारी है तथा अतिक्रमियों के विरूद्ध जो अपने पूर्वजो के समय से पुख्ता निर्माण कर कब्जे में है। धारा 91 एलआरएक्ट में कार्यवाही न कर धारा 183 आरटीएक्ट के तहत बेदखल का वाद लाना आवश्यक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट के हितो पर कुठाराघात होगा एवं परिवार का जीवन यापन की संकट में पड जायेगा। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5187/2019 रिछपाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 का सहारा लिया, उस रिट याचिका प्रार्थी रिछपाल जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 18.09.2019 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र कार्यवाही ड्रोप करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ का निर्णय जेर अपील दिनांक 17.06.2019 निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 85/2019/अपील

मोहन पुत्र रिछपाल जाति ब्राहमण निवासी किशोरपुरा उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2019 प्रकरण संख्या 108/2019 अनुवानी सरकार बनाम रिछपाल द्वारा उप तहसीलदार अजीतगढ़

वकील अपीलांट श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया

निर्णय **दिनांकः—30.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर हल्का पटवारी के बयान लिए बिना अपना निर्णय सरसरी तौर पर मंदिर माफी की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलांट गरीब परिवार से है तथा दहाड़ी मजदूरी पर अपना पालन पोषण करते है व अपने पूर्वजों के समय से आवास निवास कर रहा है। अपीलांट पूर्वजों के समय से पुख्ता मकान दुकान बनाकर आवास निवास कर रहा है एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अपीलांट जिस भूमि पर काबिज है वह पूर्व में खातेदारी की भूमि रही है। सरकारी भूमि कभी नही रही जो अपीलांट को नियमन किए जाने योग्य है। जहां अपीलांट ने विधुत कनेक्शन ले रखा है। कानूनन माफी मंदिर शाश्वत नाबालिग है परन्तु उनके हितार्थ पुजारी है तथा अतिक्रमियों के विरूद्ध जो अपने पूर्वजो के समय से पुख्ता निर्माण कर कब्जे में है। धारा 91 एलआरएक्ट में कार्यवाही न कर धारा 183 आरटीएक्ट के तहत बेदखल का वाद लाना आवश्यक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट के हितो पर कुठाराघात होगा एवं परिवार का जीवन यापन की संकट में पड जायेगा। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5187/2019 रिछपाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 का सहारा लिया, उस रिट याचिका प्रार्थी रिछपाल जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 18.09.2019 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र कार्यवाही ड्रोप करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ का निर्णय जेर अपील दिनांक 17.06.2019 निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर